

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 27 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.वन. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 667(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अवधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

अनुसूची में ,-

- (i) क्रम सं0 59, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "9" के स्थान पर "7, 9 या 10" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं0 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "2302", के स्थान पर "2301, 2302" पढ़ा जाये ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार